



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 101 राँची, शुक्रवार,

21 फरवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 जनवरी, 2025

संख्या-5/आरोप-1-166/2014-27267 (HRMS)--श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-67/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध पुलिस उपाधीक्षक-सह-थाना प्रभारी, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-6753, दिनांक 08.06.2013 एवं उपायुक्त, पलामू के ज्ञापांक-342, दिनांक 11.06.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सत्येन्द्र पासवान से इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए 48,500/- का भुगतान करने हेतु 2,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी ब्यूरो के धावादल द्वारा दिनांक 07.06.2013 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए निगरानी थाना कांड सं०-26/13, दिनांक 06.06.2013 दर्ज है ।

श्री कुमार को निगरानी ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-6145, दिनांक 06.07.2023 द्वारा दिनांक 07.06.2013 के प्रभाव से हिरासत की पूरी अवधि के लिए इनको निलंबित किया गया। हिरासत से मुक्त होने के उपरांत विभागीय आदेश सं०-11147, दिनांक 20.11.2013 द्वारा श्री कुमार को पुनः निलंबित किया गया तथा आदेश सं०-3251, दिनांक 04.04.2014 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उपायुक्त, पलामू से आरोप प्रपत्र-‘क’ की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-152/ स्था0, दिनांक 14.02.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, पलामू से प्राप्त प्रपत्र-‘क’ विभागीय परिपत्र सं0-8000, दिनांक 02.09.2015 में अंकित दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक-3260, दिनांक 20.03.2017 कई स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, पलामू से संशोधित आरोप पत्र की माँग की गई। परन्तु उपायुक्त, पलामू से संशोधित आरोप पत्र अप्राप्त रहा।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 24.07.2024 द्वारा Vigilance Case No. 27 of 2013 (Arising out of Vigilance P.S. Case no. 26/2013) में श्री अमरेश कुमार, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित न्यायादेश प्रति उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.2024 द्वारा निगरानी विभाग द्वारा लगाये गये आरोप से पूर्णरूप से मुक्त/बरी कर दिया गया है ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-6286, दिनांक 26.09.2024 द्वारा उपायुक्त, पलामू से माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर है अथवा नहीं, संबंधित सूचना की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1425/विधि0, दिनांक 14.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित मामले में पारित न्यायादेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी है ।

श्री अमरेश कुमार, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"Accordingly, considering all the aforesaid evidence discussed above and materials available on record, I find and hold that accused Sanjay Kumar is not guilty for the offences U/Ss-7 and 13(2) read with 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act, 1988. Hence, the accused Sanjay Kumar is hereby acquitted from the charges for the offences punishable U/Ss-7 and 13(2) read with 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act, 1988. Since the accused has been enjoying the privilege of bail, therefore, he and his bailors are also discharged from the liabilities of their respective bail bonds."

अतः माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत श्री संजय कुमार, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-67/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संजय कुमार, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANJAY KUMAR 20080400090	श्री संजय कुमार, झां०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-67/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
